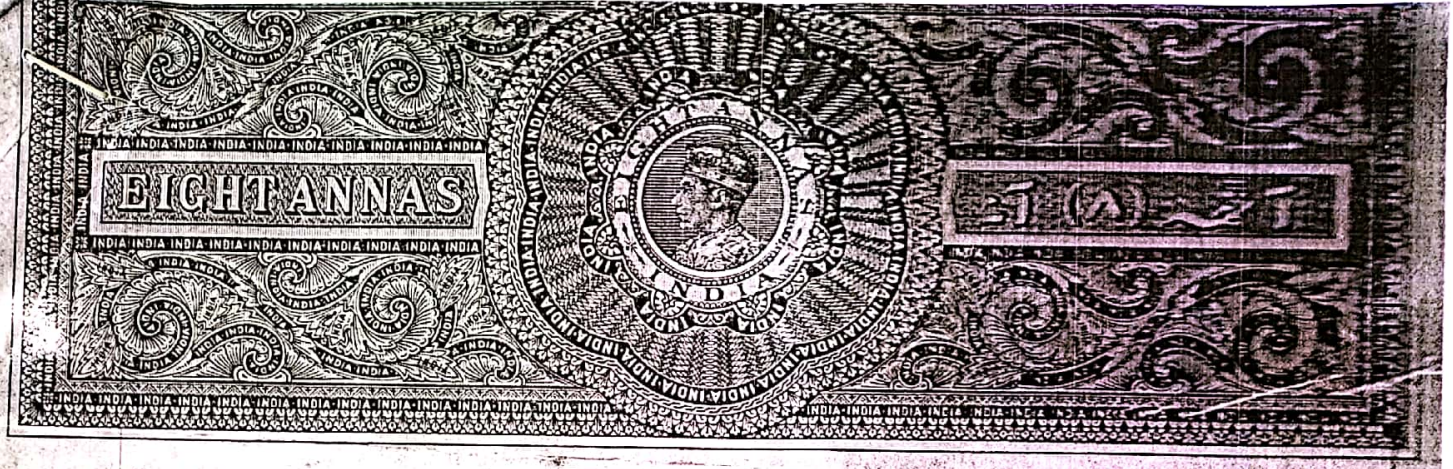

EIGHT ANNAS

INDIA

आठ आना

[illegible]

Ashish J.P. Bara

Scanned by CamScanner

[illegible] 1132 [illegible] 28 $\frac{2}{48}$ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 1133 [illegible]

8-15 A. 24[illegible]
[illegible]
Udae Uraon
Karma Uraon
Dundaria
[illegible]
[illegible]
Uraon
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
24/2/48

Execution is admitted by the above Udai Uraon who is identified by Didhra Uraon son of Birsa Uraon of the same place, caste & profession. The sum of rupees one hundred only as consideration money is paid in my presence

[illegible]
[illegible] 100 [illegible]
[illegible] 24-2-48

[illegible]
[illegible] 2-48

[illegible]

Amit J. P. Bara

349.v.2
48

358.v.2
48

Scanned by CamScanner

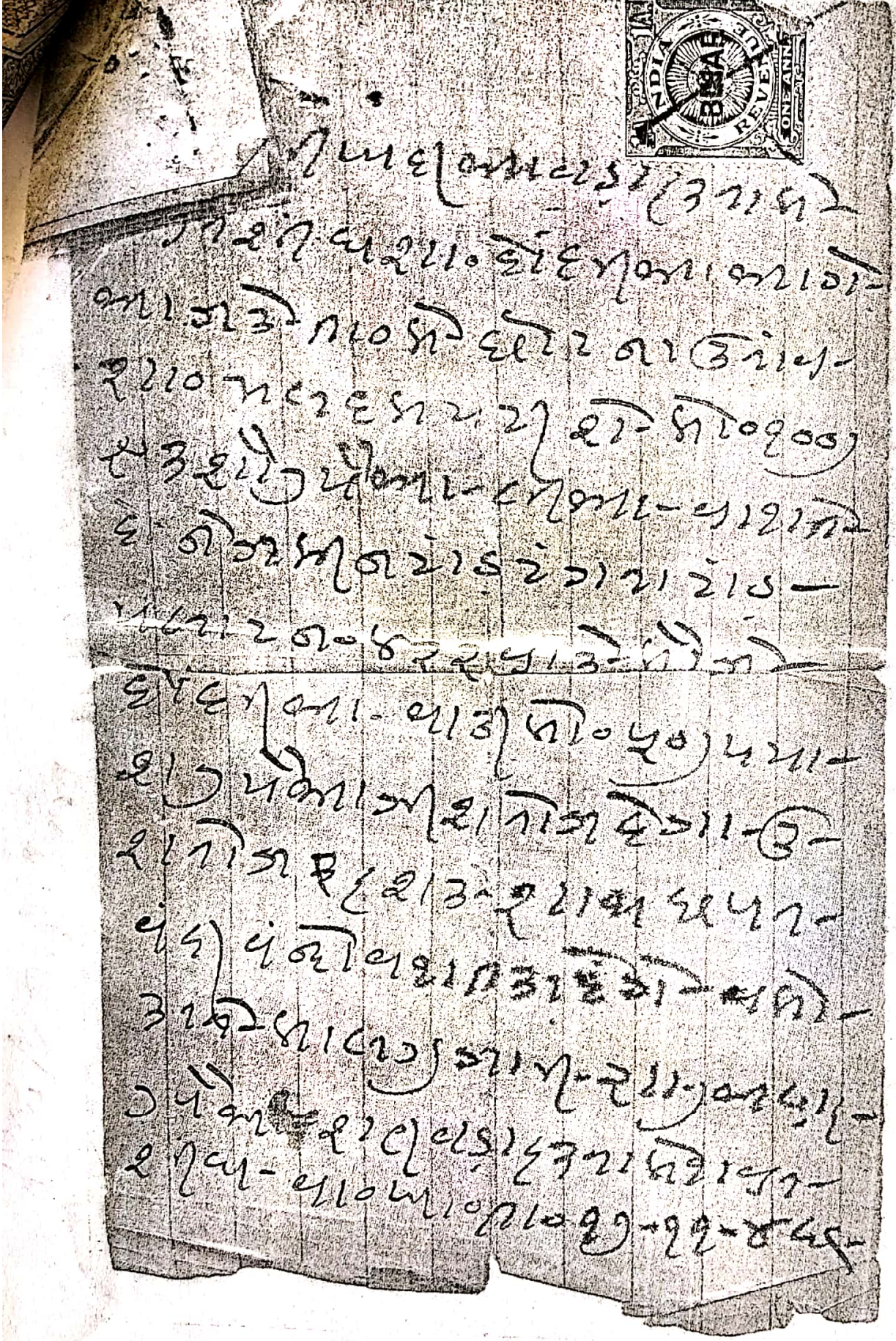

INDIA REVENUE ONE ANNA

[illegible]

Ashish J.P. Bara

Scanned by CamScanner

sch XIV F. No. 180V

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
लगान रसीद

V

जिला का नाम दुमका
अनुमण्डल का नाम
अंचल का नाम
मौजा सुन्दरिया
थाना वो थाना नम्बर ५५

रसीद क्रमांक JH 03 A 095714
रैयत का नाम
पिता का नाम लखन मड़ा
जमाबन्दी नम्बर पिता स्व० पौलुस मड़ा

S.A.R. अपील वाद सं० 46/2007 C.O. आदेश 1324(II) दिनांक 19-12-16

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा (एकड़ में)
33/48 IX	421	0-51 ए०

जोत की सालाना मांग एवं मांग का विवरण (बकाया एवं हाल) चालू वर्ष का

मांग	वार्षिक	बकाया				हाल
		3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	विगत वर्ष	
लगान	2-00					
सेस	0-50					
*ब्याज	1-00					
विविध	1-00					
योग	0-40					
	4-90					

भुगतान का विवरण

अदायगी	बकाया				हाल	अग्रिम
	3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	विगत वर्ष	16-17	
लगान				2-00	2-00	
सेस				0-50	0-50	
*ब्याज				1-00	1-00	
विविध				1-00	1-00	
योग				0-40	0-40	

1. कुल योग (शब्दों में) नव रुपया अस्सी पैसा मात्रो 4-90 4-90 = 9-80
2. नाम अदाकर्ता लखन
3. कुल बकाया ०

(हल्का कर्मचारी)
हस्ताक्षर एवं दिनांक 5-2-16

* खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

SPL/2015

Ashish J.P. Bara

Scanned by CamScanner

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गुमला ।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0 – 46/07

एडमन बड़ा –वनाम –करमा उराँव ,

15.04.08

22.04.08

यह अपील एडमन बड़ा , पुत्र पौलुस बड़ा , ग्राम – दुन्दुरिया , थाना – वो – जिला – गुमला ने भूमि वापसी वाद सं0–38/97–98 में दिनांक 26.09.07 को अनुमंडल पदधिकारी , गुमला द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध क्षुब्ध होकर दायर किया है ।

अपीलार्थी का कहना है कि यह अपील ' रिभिजन –सर्वे ' खाता नं0 – 33 , प्लाट नं0 421 , कुल रकवा – 1.09 ए0 में से 0.55 ए0 भूमि जो ग्राम दुन्दुरिया , थाना–वो–जिला गुमला में अवस्थित है से संबंधित है । यह भूमि खतियान में डेंहरा उराँव , सुकरा उराँव , बल्द विरसा उराँव , एक हिस्सा तथा सोमा उराँव , उदय उराँव , पिता–करमा उराँव एक हिस्सा के नाम से दर्ज है । अपीलकर्त्ता का कहना है कि बिरसा उराँव एवं करमा उराँव दोनों भाईयों के बीच बँटवारा रिभिजन " से पूर्व हो चुका था तथा विवादित भूमि उनके पुत्रों को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ । सर्वे के तत्काल वाद कौमा उराँव , उर्फ सोमा उराँव , पुत्र करमा उराँव की नावल्द मृत्यु हो गयी उसकी मात्र पत्नी भर जीवित रह गयी । उदय उराँव की मृत्यु के वाद उसका पुत्र जीवित रहा जो इस अपील में आवेदक/ उत्तरवादी है । पुनः कहा गया है कि करमा उराँव के पुत्रों के बीच प्लाट नं0 421 का बंटवारा हुआ , जिसमें 054.ए0 भूमि उदय उराँव के हिस्से में आयी तथा शेष 0.55 ए0 भूमि कौमा उराँव उर्फ सोमा उराँव के हिस्से में आयी , यह 0.55 ए0 भूमि को करमी उराँईन जौजे– कोमा उराँव द्वारा बेच दिया गया , जिसमें उदय उराँव और उसके पुत्र साक्ष्य के रूप में अपना हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान अंकित किया है ।

प्लाट नं0 421, रकवा–1.09 ए0 भूमि में से 0.30 ए0 भूमि रैंजू उराँव, पुत्र सामुएल उराँव , द्वारा निबंधित केवाला से वर्ष 1948 ई0 में उदय उराँव से क्रय किया , जिसमें वे घर–बारी बना कर रह रहे हैं और वे इसमें दखलकार हैं । पुनः 0.24 ए0 भूमि छोटन उराँव द्वारा 1948 ई0 में उदय उराँव से निबंधित केवाला सं0 351 से क्रय की और उसमें घर–बाड़ी , कुआँ छोटन उराँव द्वारा बनवाकर दखलकार रहे । छोटन उराँव इस अपीलकर्त्ता के दादा थे । वर्त्तमान में अपीलकर्त्ता इस जमीन में दखलकार हैं । खाता सं0 421.का शेष 0.55 ए0 भूमि जो उत्तर में अपीलकर्त्ता ,दक्षिण में तालाब , पश्चिम में सड़क तथा पूरब में एलदास मिंज से घिरा है को कॉमा उराँव उर्फ सोमा उराँव की पत्नी करमी उराईन ने 03.06.1959 को उचित क्रय मूल्य प्राप्त कर पौलुस बड़ा , पुत्र छोटन बड़ा को बिक्री दस्तावेज से बेच दिया और तब से मृत्यु उपरान्त पौलुस बड़ा उसमें दखलकार रहे और उनके मृत्यु के पश्चात् रॉबर्ट बड़ा , दोमनिक बड़ा और एडमन बड़ा दखलकार हैं , यह भी कहा गया है कि रॉबर्ट बड़ा की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र पौल बड़ा , शांति लाल बड़ा , मंगल बड़ा दखलकार हैं । अपीलार्थी का कहना है कि निम्न न्यायालय ने उनके इस तर्क को अमान्य कर दिया कि अपीलार्थी इस भूमि को 1959 में सादा बिक्रय पत्र द्वारा क्रय किया था तथा वे लगातार विवादित भूमि पर दखलकार रहे हैं तथा आवेदक उत्तरवादी द्वारा 06.अक्तूबर 97को इस भूमि के भू वापरी केलिए आवेदन दिया । अपीलार्थी का कहना है कि भू वापसी केलिए आवेदित भूमि को करमी उराँईन ने उचित बिक्रय मूल्य एक हजार तीन सौ (1,300/–) रूपये लेकर बिक्री कर दिया , जिसके साक्ष्य में वे सादा बिक्रय पत्र समर्पित किये हैं , उनका यह भी कहना है कि आवेदक का आवेदन काल बाधित है तथा ' नन–ज्वॉयण्डर ऑफ पार्टीज ' के कारण विचारनीय नहीं है , क्योंकि बाद में रॉबर्ट बड़ा और दोमनिक बड़ा के पुत्रों को भी पक्षकार बनाना आवश्यक है । अपीलकर्त्ता ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46 का उल्लंघन नहीं किया है और वे 1959 से लेकर आवेदन की तिथि एवं अब तक विवादित भूमि पर ' एडवर्स पोजिशन ' में रहे । इस प्रकार आवेदक का आवेदन काल वाधित तथा 'नन–ज्वॉयण्डर'– ऑफ पार्टीज के कारण विचारनीय नहीं हैं ।

दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं को सूना , अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त अंकित तथ्यों को सम्पुष्ट करते हुए अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की जबकि आवेदक /उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विवादित भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं है तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल किया गया सादा बिक्री पत्र जाली है । चुंकि विवादित भूमि उनके पूर्वजों के नाम से खतियान में अंकित है । अतएव अपील में विचारनीय भूमि उन्हें वापस की जाय ।

Ashish J.P. Bara

Scanned by CamScanner

निम्न न्यायालय के अभिलेख तथा दोनों पक्षों के द्वारा समर्पित दस्तावेजों का अवलोकन किया । निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न आवेदक का भू वापसी वाद में आवेदन की तिथि 06.10.97 अंकित गयी है तथा अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में इस प्रसंगाधीन भूमि के संबंध में अपने प्रतिवेदन की कंडिका – 3 में "साविक खाता – 33 में प्लाट नं0 421 में आवेदक के पिता का नाम सम्मिलात जमाबन्दी में मात्र शेष भूमि 0.55 ए0 भूमि का जमाबन्दी कायम है । भूमि टॉड़ है तथा इसमें एडमन उरॉव , बल्द पौलुस उरॉव , ग्राम–दुन्दुरिया का दखल है ।"

अपील अर्जी की कंडिका – 7 में अपीलार्थी द्वारा कहा गया है कि विवादित भूमि को पहले बन्धक के रूप में 100/–(एक सौ) रूपये का बन्धक मूल्य चुकाने के वाद अपीलार्थी को हस्तानान्तरित किया गया था , परन्तु सुकरा उरॉव के विवाह केलिए माह जून में इस भूमि को एक हजार तीन सौ (1,300/–) रूपये लेकर सादा बिक्री पत्र द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 1959 में हस्तानान्तरित कर दिया गया । अपीलार्थी द्वारा समर्पित सादा बिक्री पत्र का अवलोकन किया , समर्पित दस्तावेजों को देखने से स्पष्ट होता है कि करमो उराईन , जौजे सोमा उरॉव द्वारा , पौलुस उरॉव , वल्द छोटना उरॉव को यह भूमि एक हजार तीन सौ (1,300/–) रूपये लेकर बिक्री नामा हमेशा केलिए लिख दिया है । अपीलार्थी द्वारा 'ए॰आई॰आर॰ 1970, सुप्रीम कोर्ट' प0 वंगाल बनाम डलहौजी इन्स्टीच्युट सोसाईटी के मामले में पारित आदेश की प्रति दायर की है , जिसमें कहा गया है कि Title by adverse possession-grant of land in favour of Institute not in manner required by law- Evidence showing that grantee was in open continuous and uniterrupted possession and enjoyment of site for over 60 years . Institute treated as owner not only by Municipal Corportion but also by Governmet – possession of Institute held was on basis of grant though invalid- person in such posesson acquires title by adverse possession and is entitled to compensation money for acquisition of such land .

पुनः A.I.R- 1953 Patna Smt. k. n. mahatani Vrs. Charn napit पटना ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति अपीलार्थी द्वारा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि

(A) Registraton Act 1908,S.49 –Nature or character of possession .
Althought an unreg istered sale deed is not admissible in evidence to prove title, never the less it could be referred to as explaining the nature and character of the possession thenceforth held by the party .

(B) Limitation Act ,1908 Art. 144- possession under invalid transaction-(Tenancy Laws- Chotanagpur Tenancy Act (6 of 1908), S.46). If There is a transfer effected in violation of the law, the transferee would be deemed to be in adverse possession ever since the date of the transfer .

अपीलार्थी द्वारा सीताराम नरसरिया एवं अन्य बनाम राज्य सरकार द्वारा उपायुक्त, गुमला पृष्ट सं0 421 जे0 एल0 जे0 आर0 2006 (4) की छाया प्रति दी गयी है , जिसमें कहा गया है कि Chotanagpur Tenancy Act 1908 –Section 71-A r/w sections 46, 72 and Article 65 of Limitation Act, 1963-restoration- application filed after 45 years from the date of transfer – is hit by doctrine of delay of laches being filed after unreasonable period – authorities under the Act have no jurisciction to order restoration at such belated stage .

अपीलार्थी का तर्क यह है कि उसके पूर्वज खतियानी रैयत के वारिसान यथा करमी उराईन से खाता सं0–33 , प्लाट सं0 421 कुल रकवा 0.55 ए0 भूमि पूर्व में बन्धक के रूप में लिया

Ashish J. P. Barra

था जिसे करमी उराईन ने एक हजार तीन सौ (1,300/–) रूपये लेकर सादा बिक्रय पत्र द्वारा 03.06.1959 को बेच दिया गया और तब से अपीलार्थी विवादित भूमि पर दखलकार हैं , अपीलार्थी के इस तर्क की सम्पुष्टि अंचल अधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से होती है , जिसमें कहा गया है कि भूमि टाड़ है तथा उसमें एडमन उरॉव बल्द पौलुस उरॉव , ग्राम– दुन्दुरिया का दखल है । यह प्रतिवेदन दिनांक 22.08.98 को दिया गया है ।

उपर्युक्त तथ्यों तथा अपीलार्थी द्वारा समर्पित माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में पारित आदेश की प्रति को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी 1959 से वर्ष 1998 तक लगातार अवैध कागजात के आधार पर विवादित भूमि पर एडवर्स पोजिशन में रहे है। इस प्रकार अपीलार्थी विवादित भूमि पर करीब 38 वर्षो तक एडवर्स पोजिशन में रहे हैं । अतएव उपर्युक्त आदेश के आलोक में आवेदक का विवादित भूमि खाता सं0 –33, प्लाट सं0 421 , रकवा 0.55 ए0 दिया गया भूमि वापसी आवेदन कालबाधित है । अतएव उपर्युक्त कारणों से खाता सं0 33, प्लाट सं0 421 , रकवा 0.51 ए0 के भूमि के संबंध में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित
22/04/08
अपर–समाहर्त्ता , गुमला ।

22/04/08
अपर–समाहर्त्ता , गुमला ।

P 335

प्रतिलिपि कर्त्ता
प्रतिलिपिक

तुलना कर्त्ता
तुलना लिपिक

CERTIFIED TO BE TRUE COPY
Date Record Keeper
Authorised under Section 76 Act 1 of 1872 District Record Room. GUMLA

Ashish J. P. Barа

Scanned by CamScanner

अंचल कार्यालय ,गुमला ।

कार्यालय आदेश

अपर समाहर्त्ता, गुमला के एस0 ए0 आर0 अपील वाद संख्या 46/2007 में दिनांक 22.04.2008 में पारित आदेश के आलोक में मौजा– दुन्दरिया थाना– गुमला थाना नं0– 44 के खाता नं0–33 प्लॉट नं0–421रकबा 0.51 एकड़ भूमि की जमाबंदी एड़मन बाड़ा पिता–स्व0 पौलुस बाड़ा मौजा–दुन्दरिया के नाम से पंजी ii में इन्द्राज कर लगान रसीद निर्गत करें।

अंचल अधिकारी,
गुमला

ज्ञापांक 1324(रा)0, दिनांक 19/12/16

प्रतिलिपिः– श्री जलेश्वर साह, राजस्व कर्मचारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

48/IX

कार्यालय अंचल अधिकारी गुमला

अंचल अधिकारी,
गुमला

Ashish J.P. Barg

Scanned by CamScanner

N ग्राम मौजा कुन्दरिया सीट नं0 1

गुमला थाना नं 44

जिला- राँची (गुमला)

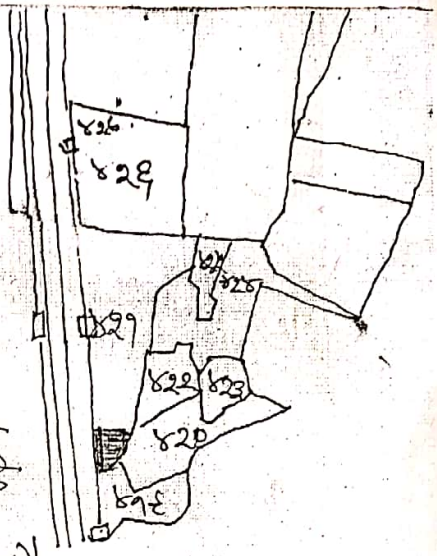

१६

S १९३०-३१

आशीष जोन पॉल बाड़ा पिता स्टेफन बाड़ा ग्राम लोहरदगा रोड कुन्दरिया (गुमला) थाना-गुमला जिला-गुमला के मकान निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि को Index नक्सा में लाल रंग मे दिखाया गया है

खाता सं०	प्लाट सं०	रकबा
33	421	17 डी० मे से 07 डी जमीन दक्षिण तरफ

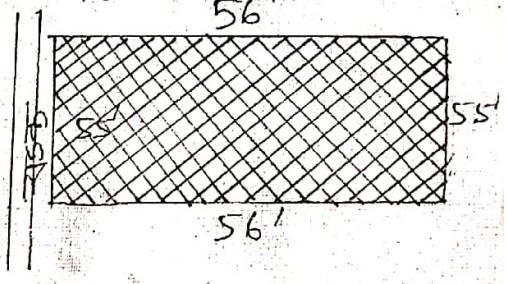

चौहद्दी उत्तर- नीज आशीष जोन पॉल बाड़ा

दक्षिण - पोलुस बाड़ा का जमीन

पूर्व - पोलुस बाड़ा का जमीन

पश्चिम - गुमला लोहरदगा पक्की सड़क

पाईमाईश -

उत्तर तरफ - पूर्व से पश्चिम लम्बाई 56 फीट

दक्षिण तरफ - " " " " 56 फीट

पूर्व तरफ उत्तर से दक्षिण चौड़ाई - 55 फीट

पश्चिम तरफ " " " " - 55 फीट

Amin

Ashish J.P. Bara

Scanned by CamScanner

भारत सरकार
Government of India

आधार

आशीष जोन पौल बड़ा
Ashish John Paul Bara
जन्म तिथि/DOB: 17/09/1983
पुरुष/ MALE

Issue Date: 05/08/2021

7644 0170 2388
VID : 9180 0082 6970 3792

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

AADHAAR

पता:
द्वारा: एडमन्ड बड़ा, लोहरदगा मार्ग, ग्राम-दुन्दूरिया,पोस्ट-गुमला,थाना-गुमला, गुमला, गुमला,
झारखण्ड - 835207

Address:
C/O: Edmond Bara, Lohardaga Road, Vill-Dunduria,Post-Gumla,Thana-Gumla, Gumla, Gumla,
Jharkhand - 835207

7644 0170 2388
VID : 9180 0082 6970 3792

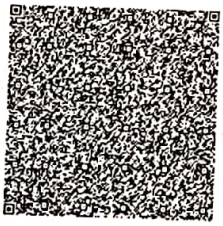

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

Ashish J.P. Bara

Scanned by CamScanner